न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार
<u>कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)</u>

सू.का.अधि. अपील प्र.क्र.54 / 2017–18

श्री शांति कुमार निवासी ग्राम पो.हसौद उप तहसील हसौद
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) .... अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर
जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ....उत्तरवादी

आदेश
(आज दिनांक 31.07.2018 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी श्री शांति कुमार निवासी ग्राम पो.हसौद उप तहसील हसौद जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रारंभ किया गया।

अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 16.05.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत डांक के माध्यम से संदर्भित आवेदन पत्र दिनांक 09.04.2018 पर की गई कार्यवाही की जानकारी एवं दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति की मांगी गई है। नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत अपील आवेदन के संबंध में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर –चांपा (छ.ग.) को ज्ञापन क्रमांक 10125 / अपील / सू.का.अ. / 2018 / जांजगीर, दिनांक 30.06.2018 को पत्र प्रेषित कर जानकारी / जबाव मांगी गई एवं अपीलार्थी को पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 10126 / अपील / सू.का.अ. / 2018 जांजगीर, दिनांक 30.06.2018 के द्वारा सुनवाई तिथि 19.07.2018 को उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई।

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा के द्वारा प्रेषित ज्ञापन कमांक 10212 / सू.का.अधि. / 2018 जांजगीर, दिनांक 02.07.2018 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत ज्ञापन कमांक 8075 / सू.का.अ. / 2018 जांजगीर, दिनांक 22.05.2018 द्वारा लोक प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी(रा0) सक्ती जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को हस्तातंरित कर पृष्ठांकित प्रति द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि जानकारी दी गई है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 16.05.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत डांक के माध्यम से संदर्भित आवेदन पत्र दिनांक 09.04.2018 पर की गई कार्यवाही की जानकारी एवं दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति की मांगी गई है। नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सक्ती जिला जांजगीर–

चांपा को हस्तांतरित कर पृष्ठांकित प्रति द्वारा अपीलार्थी / आवेदक को सूचना दी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को हस्तांतरण होने की सूचना होने के बाद भी अपील प्रस्तुत किया गया है। अस्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

31.7.18

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा,छ.ग.

पृ.क्र. / 12339 / अपील / सू.का.अधि / 2018 जांजगीर, दिनांक 01 / 8 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा की ओर आदेश की प्रति अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
3. श्री शांति कुमार निवासी ग्राम पो.हसौद उप तहसील हसौद जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)